

फर्द अहकाम

यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

नं :- ३७ / २०१९

केसर देवी बनाम श्योजीराम

आज्ञा संवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
२५	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। वकील वादी को प्रतिवादीगण की तामील करवाने हेतु न्यायालय फीस/डाक महसूल समय पर नहीं दिया। अतः आदेश ९ नियम २ के तहत दावा खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)</p>	